

प्रश्नोत्तर से सुनिधित परिशिष्ट

पृष्ठ- 3

[19/7/2016]

प्रश्न सं. [क. 1151]

मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 373/22/25/07/ल.सि./31/(799) भोपाल, दिनांक 17/08/2015

आदेश

राज्य शासन द्वारा लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रति हेक्टर लागत के संबंध में समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 10-06-2011 में संशोधन कर निम्नानुसार वित्तीय मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :—

संक्र.	परियोजना का प्रकार	लागत सीमा
1	जलाशय (नहर के साथ)	₹3.50 लाख प्रति हेक्टर
2	जलाशय (विना नहर के)	₹3.00 लाख प्रति हेक्टर
3	स्टापडेम / बैराज	₹1.75 लाख प्रति हेक्टर

- यह आदेश वित्त विभाग के यूओ. क्र. 494/आर.664/15/बी-9/चार दिनांक 14-08-2015 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

१५२/भ१४।१
(क्षी.एस. टेकाम)

३ संग्रह सचिव,
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्र. एफ 373/22/25/07/ल.सि./31/(800) भोपाल, दिनांक 17/08/2015
प्रतिलिपि:-

- अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय।
- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग/योजना विभाग/
किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्रालय।
- सचिव (श्री हरिरंजन राव) मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग।
- प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- समस्त अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश
- वेब मेनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाइकू, जल संसाधन संसाधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

१५२/भ१४।१
उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
३ संग्रह १७.०८.१५